



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 572]  
No. 572]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 5, 1986/अग्रहायण 14, 1908  
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 5, 1986/AGRAHAYANA 14, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as  
a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय  
(पत्तन पक्ष)

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1986  
अधिसूचना

सा. का. नि. 1259 (अ):—केन्द्रीय सरकार, महा-पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132; की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा कांडला पत्तन न्यास के न्यासी मंडल द्वारा निर्मित तथा अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दिए गए कांडला पत्तन कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 1986 को अनुमोदन प्रदान करती है।

2. ये विनियम इस अधिसूचना के राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

[सं. पी. डब्ल्यू. /पी. ई. आर.—55/85]  
पी. एम. अब्राहम, अपर सचिव

अनुसूची

कांडला पोर्ट ट्रस्ट

कांडला पोर्ट का न्यासी मंडल, महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियमों के निर्माण हेतु कांडला पोर्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा प्रोन्नति) विनियम, 1964 को आग संशोधित करता है अर्थात् :—

1. ये विनियम कांडला पोर्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 1986 कहे जायेंगे।

2. कांडला पोर्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा प्रोन्नति) विनियम 1964 के उप विनियम 13 (2) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :—

“भूतपूर्व सैनिकों तथा संघर्ष में मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों के पक्ष में केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन पदों पर नियुक्ति के आरक्षण हेतु समय समय पर जायी-

प्रदेश इन विनियमों द्वारा शासित और जिनके लिए सीधे भर्ती की जा रही है उन नियुक्तियों के लिए भी लागू होंगे।

सचिव  
कडला पोर्ट ट्रस्ट

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT  
PORTS WING  
New Delhi, the 5th December, 1986  
NOTIFICATION

G.S.R. 1259(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124 read with sub-section (1) of section 132, of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 1986 made by the Board of Trustees of the Kandla Port Trust and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the official Gazette.

[F. No. PW/PER-55/85]  
P. M. ABRAHAM, Addl. Secy.

THE SCHEDULE  
KANDLA PORT TRUST

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of Kandla Port Trust further amend the Kandla Port Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1964 to make the following Regulations namely :—

- (1) These Regulations should be called the Kandla Port Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 1986;
- (2) The Sub-regulation 13(2) of the Kandla Port Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1964 shall be substituted by the following :—

“Orders issued by the Central Government from time to time for the reservation of appointment to posts under it in favour of ex-servicemen and dependents of those killed in action shall also apply to appointments covered by these regulations and to which direct recruitment is made.”